**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**
**कुतुब संस्थागत क्षेत्र , नई दिल्ली**

**सूचना सं. PFRDA/02/16/2/0001/2017-RnS-NPST दिनांक: 02 अगस्त, 2022**

**<u>एनपीएस न्यास के बोर्ड में तीन न्यासियों की नियुक्ति हेतु सूचना</u>**

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 3 के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) उक्त अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं को विनियमित करता है और यह देश में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों में से एक है।

प्राधिकरण ने व्यवस्थापक के रूप में अपनी शक्तियों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास) की स्थापना की है, जो एनपीएस संरचना के अधीन एक मध्यवर्ती इकाई है और न्यासियों के बोर्ड के रूप में उक्त न्यास के नाम पर प्रबन्धन के तहत एनपीएस और दूसरी पेंशन योजनाओं के अधीन अभिदाताओं की निधियों का स्वामी है । इस न्यास की प्रकृति निजी है और यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पीएफआरडीए अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम 2015, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और न्यास विलेख के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। विनियमों के अनुसार इसमें अधिकतम 11 न्यासियों की नियुक्ति का प्रावधान है जिनके पास सिद्ध प्रबंधन कौशल, अनुभव, क्षमता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के साथ ही विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखा या सामाजिक कल्याण या प्रशासन में पर्याप्त शिक्षा के साथ-साथ उपयुक्त योग्यता भी होनी चाहिए । दिनांक 30.06.2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, न्यास के नाम पर प्रबन्धन के तहत परिसंपत्तियों में लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये के साथ ही 5.40 करोड़ अभिदाता आधार है । वर्तमान में न्यास का केवल एक ही कार्यालय है, जो कि नई दिल्ली में है।

**प्राधिकरण वर्तमान में एनपीएस न्यास के बोर्ड में तीन न्यासियों की नियुक्ति का इच्छुक है**। इस पद हेतु ऐसे आवेदक की आवश्यकता है, जो भारत का नागरिक हो और उपर्युक्त विनियमों के विनियम 5 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और साथ ही न्यासी की नियुक्ति के लिए दिनांक 12.01.2018 को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता हो, और **वह मुख्यतः विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकर्म या समाज कल्याण या प्रशासन में समुचित रूप से अहरित हो तथा प्रबंध कौशल, अनुभव, क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो ।** न्यासी का प्रारंभिक कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा जिसके बाद कार्यकाल में केवल दो वर्ष तक की अवधि के विस्तार का प्रावधान होगा। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा सत्तर वर्ष है, जिसके बाद न्यासी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सभी न्यासी प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित, न्यासी बैठक हेतु बैठक शुल्क एवं न्यासी बैठक हेतु अन्य खर्चो जैसे यात्रा शुल्क एवं यात्रा के दौरान प्रवास शुल्क आदि के लिए पात्र हैं ।

कृपया न्यास में अपनी सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक आवेदक, आवेदन के रूप में अपना विस्तृत बायोडाटा ईमेल द्वारा dept-regfm@pfrda.org.in पर **01 सितम्बर,** 2022 तक भेज सकते हैं।

एनपीएस और न्यास की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी, प्राधिकरण की वेबसाइट के अलावा, न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर भी देखी जा सकती है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 तथा न्यासी की नियुक्ति के लिए विनियम एवं दिशानिर्देश भी उपलब्ध हैं।

ऐसे न्यासी का चयन प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार नियुक्त न्यासी, प्राधिकरण या न्यास का कर्मचारी नहीं होगा। प्राधिकरण प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या के बावजूद, ऐसे नामों को, जैसा कि वह उचित समझे और नियुक्ति हेतु आगे की प्रक्रियाओं पर विचार करने के लिए शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार रखता है । किसी इच्छुक व्यक्ति से केवल आवेदन प्राप्त होने या उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने मात्र से किसी भी व्यक्ति को पद पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा बल्कि यह प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर होगा।

**मुख्य महाप्रबन्धक**
**विनियमन विभाग – निधि प्रबंधन (एनपीएस न्यास)**

*********************************************************************

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**
**QUTAB INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI**

**Ref. No. PFRDA/02/16/2/0001/2017-RnS-NPST Dated: 02 August, 2022**

# NOTICE FOR APPOINTMENT OF THREE TRUSTEES ON THE BOARD OF TRUSTEES OF NPS TRUST

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) established under Section 3 of the PFRDA Act, 2013, regulate National Pension System and other pension schemes, in terms of the said Act and is one amongst the financial sector regulators in the country.

The Authority in its capacity as settlor, has established the National Pension System Trust (NPS Trust) being the Board of Trustees who are the legal owner of the funds of the subscribers under NPS and certain other pension schemes, under management in the name of the said Trust, which is an intermediary under NPS architecture. The Trust is in the nature of a private trust and in discharge of its duties and responsibilities, is governed by the provisions of the PFRDA Act, 2013, PFRDA (NPS Trust) Regulations 2015, the Indian Trust Act, 1882 and the provisions of the trust deed. As per the regulations, there is a provision for appointment of a maximum of 11 trustees, suitably qualified with sufficient education in law or finance or economics or accountancy or social welfare or administration with proven management skill, experience, capacity, integrity and reputation. The assets under management in the name of the Trust as on 30.06.2022 are Rs 7.44 lakh crore (approx.) with 5.40 crore subscribers (approx.) base. The Trust presently has only one office at New Delhi.

**The Authority presently is desirous of appointing three Trustees on the Board of Trustees of NPS Trust.** The person applying for the post should be a citizen of India and satisfying the eligibility conditions as stipulated under Regulation 5 of the aforementioned regulations as also the Guidelines for Appointment of Trustees dated 12.01.2018 issued by the Authority, **preferably having knowledge and experience in law or finance or economics or accountancy or social welfare or administration with proven management skill, experience, capacity integrity and reputation.** The initial term of the Trustee shall be for a period of three years from the date of appointment, with provision of extension for not more than two years. The maximum age limit, beyond which a trustee shall not function, is seventy years. The Trustees are eligible to receive sitting fees and such other expenses

towards travelling, lodging and boarding etc. as are determined by the Authority from time to time.

Applicants, who are desirous of contributing their expertise to the Trust, may kindly send their detailed resume by mail to: **dept-regfm@pfrda.org.in** by **01 September, 2022** in support of their application.

Further information on NPS and the activities of the Trust, besides the website of the Authority can also be accessed on the website of the trust at www.npstrust.org.in . The PFRDA Act, 2013, the regulations and guidelines for appointment of trustee are also available on the website of the Authority.

The selection of such trustees shall be made by a committee constituted by the Authority as mentioned in the guidelines. The trustee so appointed shall not be an employee either of the Authority or the Trust. Notwithstanding the total number of applications received, the Authority reserves the right to shortlist such names, as it may deem fit and consider for further processes towards appointment. Mere receipt of application from any interested person or shortlisting thereafter, shall not confer any right on any person to be so appointed, which shall be at the sole discretion of the Authority.

**Chief General Manager**
**Regulation Department -Fund Management (NPS Trust)**

*********************************************************************